

राजस्थान विधान सभा सचिवालय
जयपुर

E-mail : rajassembly@nic.in
website:rajassembly.nic.in

फैक्स:0141-2744333-2744334
दूरभाष नं.0141-2744301-320

राजस्थान विधान सभा सचिवालय हेतु तीन सीटर सोफों की आपूर्ति

बिड प्रपत्र

सामग्री का विवरण	सामग्री की अनुमानित लागत(रु.)	मात्रा (संख्या)
तीन सीटर सोफों की आपूर्ति	रु. 1.90 लाख	10
बिड प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय	13/01/2017 1.00 PM	
बिड खोलने की तिथि एवं समय	13/01/2017 3.00 PM	

बिड प्रपत्र

राजस्थान विधान सभा सचिवालय हेतु तीन सीटर सोफों की आपूर्ति

- 1- बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व पता
.....
.....
- 2- बिड जिसको प्रस्तुत करनी है :- उप सचिव (प्रशासन), राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
- 3- संदर्भ बिड सूचना एफ18(1)फर्नी/विस/पार्ट-II/2016/602 दिनांक 04 जनवरी, 2017
4. इस बिड के संबंध में बिड प्रपत्र एवं समस्त शर्तों मेरे/हमारे द्वारा अच्छी तरह से पढ एवं समझ ली गई हैं, जिसके प्रमाण स्वरूप शर्त प्रपत्र एवं बिड प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। मैं/हम उन समस्त शर्तों की पालना करने के लिये वचनबद्ध हूँ/हैं।
5. मैं/हम ऐसे करों को संदत्त करने की, जो बोली दस्तावेजों, पूर्व-अर्हता दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या, यथास्थिति, किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय है, अपनी बाध्यता की पूर्ति करूँगा/करेंगे।
6. मैं/हम दिवालिया, रिसीवर के अधीन, शोधन अक्षम नहीं हुआ हूँ/हुए हैं या परिसमापन नहीं कर रहा हूँ/रहे हैं, न किसी न्यायालय या किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित कार्यकलाप रखूँगा/रखेंगे, न अपने कारबार के क्रियाकलाप निलंबित रखूँगा/रखेंगे और न पूर्वगामी कारणों में से किसी के लिए भी विधिक कार्यवाहियों के अध्यक्षीन होंगे।
7. मैं/हम अपने वृत्तिक आचरण या उपापन प्रक्रिया के प्रारम्भ के पूर्ववर्ती तीन वर्ष की किसी कालावधि के भीतर कोई उपापन संविदा किए जाने के लिए अपनी अर्हताओं के बारे में मिथ्या कथन करने या दुर्व्यपदेशन सम्बन्धी किसी दांडिक अपराध के सम्बन्ध में न तो स्वयं, और न हमारे निदेशक और अधिकारी दोषसिद्ध हुए हैं, या विवर्जन कार्यवाहियों के अनुसरण में अन्यथा निरर्हित हुए हैं।
8. मैं/हम ऐसे हित, जो पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, मेरे/हमारे रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विहित और विनिर्दिष्ट किए गया है, के प्रति कोई विरोध नहीं रखूँगा/रखेंगे, जो उचित प्रतियोगिता को तात्त्विक रूप से प्रभावित करे।
- 9- हम बिड सूचना तथा संलग्न बिड की शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं एवं इनके सभी पृष्ठों पर प्रमाणस्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।
- 10- राजस्थान विधान सभा सचिवालय हेतु तीन सीटर सोफों की आपूर्ति हेतु प्रस्तावित दर (सभी करों सहित) परिशिष्ट "क" में वर्णित है।

- 11- उद्घृत की गई दरें 90 दिवस के लिये विधिमान्य हैं। इस अवधि एवं मात्रा को आपसी सहमति से घटाया या बढ़ाया जा सकेगा।
- 12- बिक्री कर/वैट पंजीकरण/टिन संख्या (पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न हैं)।
- 13- वैट शोधन प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि (शोधन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न हैं)।
- 14- आयकर स्थायी खाता संख्या (पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न है)।
- 15- मैं/हम निविदा में दिये गए आपूर्ति/कार्य की संलग्न शर्तें पढ़ने के उपरान्त आदेश प्राप्ति के अनुसार आपूर्ति/कार्य करने के लिए सहमत हूँ/हैं ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

बिड प्रपत्र व बिड की शर्तें

राजस्थान विधान सभा सचिवालय हेतु तीन सीटर सोफों की आपूर्ति

- नोट :- 1. बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी बोलियाँ भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।
2. बिड प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व बोलीदाताओं को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 का आवश्यक रूप से सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिए।
3. बिड की शर्तों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व तत्सम्बन्धी नियम, 2013 में विरोधाभास पाये जाने पर अधिनियम व नियमों दिये गए प्रावधान ही प्रभावी माने जायेंगे।

1. बोलीदाता बिड को उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करें।
2. भरी हुई बोलियाँ दिनांक 13.01.2017 अपराह्न 1.00 बजे तक जमा करवाई जा सकती हैं तथा प्राप्त बोलियाँ दिनांक 13.01.2017 को अपराह्न 3.00 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जायेंगी।
3. आपूर्ति करने के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि तक सामग्री की पूर्ण गारण्टी फर्म की होगी। यदि सामग्री सम्बन्धी डिफेक्ट होगा तो फर्म को इस सम्बन्ध में सूचित करने के सात दिवस के भीतर उसे बदलना होगा जिसके लिए किसी भी प्रकार का भुगतान राजस्थान विधान सभा सचिवालय द्वारा नहीं किया जायेगा।
4. प्रदाय किये जाने वाले तीन सीटर सोफे निम्न स्पेसीफिकेशन के अनुसार होने आवश्यक हैं, जिसका नमूना राजस्थान विधान सभा सचिवालय में किसी भी कार्यदिवस में देखा जा सकता है :-

क्र.सं.	विवरण	मात्रा
1	Three Seater Sofa : Overall Size of Sofa : 75 cm Depth X 75 cm Height X 170 cm Length with best quality upholstery (As per approved Fabric). Material should be of high density of Foam (040 Density) in seat & back. Seat cushion should be 125mm (100mm+25mm) thick Structure should be made of 18mm ISI Mark Alternet plywood. Handle of Sofa made by Sagwan wood with malamine polish.	10

5. राजस्थान विधान सभा सचिवालय हेतु तीन सीटर सोफों की आपूर्ति आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस में करनी होगी।

6. **(1) करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप :**

(1) सफल बोलीदाता को दर स्वीकृति की सूचना का पत्र जारी होने की दिनांक से सात दिन की अवधि के भीतर सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर के नाम देय डी.डी./बैंकर्स चैक द्वारा, जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए बोली स्वीकार की गयी है, उनके मूल्य के 5% के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा कराकर रुपये 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।

(2) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे :-

(क) बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक / ई-ग्रास चालान की प्रति।

(ख) डाकघर बचत बैंक पास बुक, जिसे विधिवत गिरवी रखा जाएगा।

(ग) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र, डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र या कोई अन्य स्क्रिप्ट/विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वैल्यू) पर स्वीकार किया जाएगा।

(4) एक समय पर खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार सप्लाई से एक माह के भीतर तथा संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरुद्ध कोई देय बकाया नहीं है, कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

(2) (1) निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्टर्ड फर्मों को, उन सामानों के संबंध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, निदेशक, उद्योग विभाग से पंजीयन की विधिवत अनुप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किए जाने पर सामग्री के मूल्य के एक प्रतिशत की दर पर कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप जमा करानी होगी।

(2) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।

(3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण :- कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जाएगा :-

(क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(4) करार-पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा सचिवालय द्वारा बोलीदाता को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा प्रतिपडत निःशुल्क दी जाएगी।

7. भुगतान :-

(1) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाये, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान बोलीदाता द्वारा विधान सभा सचिवालय को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जायेंगे।

(2) विवादास्पद मदों के संबंध में भुगतान राशि के 25 % तक को रोका जा सकेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान किया जाएगा।

(3) **परिनिर्धारित क्षति:** परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी बोलीदाता सप्लाई करने में असफल रहा है :-

(1)

(क)	विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए	2.5%
(ख)	एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए	5 %
(ग)	आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए	7.5 %
(घ)	विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए	10 %

(2) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।

(3) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी।

(4) यदि प्रदायकर्त्ता (सप्लायर) किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की आपूर्ति को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को

आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा, न कि आपूर्ति पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(5) यदि माल की आपूर्ति करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो, तो सुपर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति रहित भी की जा सकेगी।

8. यदि बोलीदाता ऐसा शर्त आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाई कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि उप सचिव (प्रशासन), राजस्थान विधान सभा द्वारा जारी किए गए बोली स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।
9. **वैट पंजीयन एवं शोधन प्रमाण-पत्र :-** कोई भी फर्म जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, यदि राज्य में प्रचलित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है, तो वह बोली नहीं देगा। वैट पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाये एवं बोली के साथ वैट पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति तथा वैट शोधन प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न की जायें। प्रमाण पत्रों की प्रतियाँ संलग्न नहीं करने पर बोली को निरस्त किया जा सकता है।
10. बोली प्रारूप स्याही से भरा जायेगा या टंकित होगा। पेंसिल से भरी गयी किसी भी बोली पर विचार नहीं किया जाएगा। बोलीदाता बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बोली की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
11. दरें अंकों एवं शब्दों में लिखी जाएँगी। इसमें कोई त्रुटि एवं उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धि करनी हो, तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
12. दरें गन्तव्य स्थान तक (एफ. ओ. आर) एवं सभी करों तथा अनुषंगिक प्रभारों सहित उद्धृत की जायेंगी।
13. **विधि मान्यता :** बालियाँ, उनके खोले जाने के दिनांक से 90 दिवस की अवधि के लिए विधि मान्य होंगी।
14. बोलीदाता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने आपूर्ति की जाने वाली सामग्री के स्पेसीफिकेशन, साईज आदि की सावधानीपूर्वक जाँच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग, स्पेसीफिकेशन आदि के आशय के बारे में कोई संदेह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, विधान सभा सचिवालय से जानकारी प्राप्त करेगा।
15. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को सब लेट नहीं करेगा।
16. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री बोली में निर्धारित स्पेसीफिकेशन के पूर्णतया अनुरूप होगी। आपूर्ति की गई सामग्री निर्धारित स्पेसीफिकेशन के अनुसार है, इसका निर्णय कय समिति एवं सचिव, राजस्थान विधान सभा का होगा जो बोलीदाताओं के लिए अन्तिम एवं मान्य होगा।
17. आपूर्ति की गई सामग्री यदि निर्धारित स्पेसिफिकेशन की नहीं पायी जाती है, तो बोलीदाता सामग्री को रद्द करने की सूचना प्राप्त करने के 7 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे बोलीदाता की जोखिम एवं उसके लेखे पर, उन पर जिन्हें वह उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा।
18. यदि आपूर्ति क्रेता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद सचिव, राजस्थान विधान सभा किसी भी समय निराकृत कर सकते हैं। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेंगे।
19. बोलीदाता का उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
20. यदि किसी कारण से निविदत्त माल की आपूर्ति नहीं ली जाती है, तो बोलीदाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।

21. सचिव, राजस्थान विधान सभा किसी भी बोली को, जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नहीं हैं, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बोली को रद्द करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेंगे।
22. बोली की समस्त शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-11 में दिए गए प्रावधान/शर्तें एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देश आदि संवेदक पर कभी भी बाध्यकारी हो सकते हैं।

23- सत्यनिष्ठा संहिता (Code of integrity) :- उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाली कोई भी फर्म/संस्था/व्यक्ति,

- (1) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा;
- (2) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो;
- (3) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा;
- (4) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा;
- (5) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा;
- (6) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा;
- (7) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा;
- (8) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा;

24. हित का विरोध (Conflict of interest) :-

- (1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।
- (2) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियाँ सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि
 - (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार हैं;
 - (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;
 - (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है;
 - (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो;
 - (ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है; या
 - (च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की

विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

25. **बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का भंगः**— राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी बोली लगाने वाले या, यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपबन्ध के भंग की दशा में उपापन संस्था धारा 11 की उप-धारा (3) और धारा 46 के उपबंधों के अनुसार समुचित कार्रवाई कर सकेगी।
26. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो पक्षकारों द्वारा मामले को सचिव, राजस्थान विधान सभा को भेजा जाएगा एवं उस विवाद के लिए सचिव का निर्णय अन्तिम होगा। समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार सरकार या प्रदायक द्वारा जयपुर शहर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।
27. (1) उपापन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की शिकायत के लिए अपील राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधानानुसार निर्धारित प्रक्रिया से की जा सकेगी।
(2) प्रथम अपील अधिकारी वरिष्ठ उप सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर तथा द्वितीय अपील अधिकारी सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर हैं।
28. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-II, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 2013 में वर्णित सभी शर्तें/प्रावधान लागू होंगे।

ह0

(राणाराम बिश्नोई)
उप सचिव (प्रशासन)

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों का सावधानीपूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तों से प्रतिबन्धित रहूँगा/रहेंगे।

हस्ताक्षर बोलीदाता

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेंट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कारवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपद्धत किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

तीन सीटर सोफों की आपूर्ति हेतु प्रस्तावित दर का विवरण पत्र :-

क. सं.	विवरण	मात्रा	दर प्रति नग सभी करों सहित (रुपये)		
			अंकों में	शब्दों में	कुल राशि
1	<p>Three Seater Sofa :</p> <p>Overall Size of Sofa : 75 cm Depth X 75 cm Height X 170 cm Length</p> <p>Sofa with best quality upholstery (As per approved Fabric)</p> <p>Material should be of high density of Foam (040 Density) in seat & back</p> <p>Seat cushion should be 125mm (100mm+25mm) thick</p> <p>Structure should be made of 18mm ISI Mark Alternet plywood. Handle of Sofa made by Sagwan wood with Malamine polish.</p>	10			

च

(Total Rupees)

बोलीदाता के हस्ताक्षर